न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

सिविल प्रकरण संख्याः– 02 / 2022 तारीख रजू :–03.01.2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर,राजस्थान ।

..........आवेदक

बनाम

1. अशोक शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामपाल शर्मा खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स बालाजी दूग्ध डेयरी, 11 आशा होटल के पास, बजरिया, सवाई माधोपुर
2. ऋषभ जैन पुत्र स्व0 श्री प्रेम चन्द जैन, मालिक मैसर्स ऋषभ इन्टरप्राईजेज, सीपी–2, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा निवासी 21, रिद्धि सिद्धि एनक्लेव, एक्जोटिका गार्डन के सामने, बूंदी रोड, कुन्हाडी, कोटा।

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 51, 52 एवं 53 एफएसएस एक्ट 2006

निर्णयः– दिनांक 16.07.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर राजस्थान द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 03.03.2021 को समय 2.30 पी.एम. पर मैसर्स बालाजी दूग्ध डेयरी, 11, आशा होटल के पास, बजरिया, सवाई माधोपुर पर पहुँचा। वहाँ पर अशोक शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामपाल शर्मा उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को उक्त फर्म में मालिक होना जाहिर किया एवं मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय रजिस्ट्रेशन पत्र दिखाया। आवेदक द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु **Kitchen Special Vanaspati (Shri Ramdev)** के 1 लीटर के 20 गत्ता पैक रखे थे, के अमानक का शक होने पर 1 लीटर के 4 गत्ता पैक **Kitchen Special Vanaspati (Shri Ramdev)** खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक अशोक शर्मा को सूचित करते हुए वास्ते नमू[illegible] अशोक शर्मा को 600/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कार[illegible]कर्ता [illegible] मालिक के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं [illegible] अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने [illegible] की प्रतियां तैयार कर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:21 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे अशोक शर्मा एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक अशोक शर्मा को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Kitchen Special Vanaspati (Shri Ramdev)** के 1 लीटर के 4 गत्ता पैको पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-2029** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2029 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे अशोक शर्मा एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक 1629 दिनांक 22.03.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/328/एक्ट/2021/410 दिनांक 15.03.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Kitchen Special Vanaspati (Shri Ramdev)** का नमूना **सबस्टेण्डर्ड, मिसब्राण्डेड एवं मिसलीड** होना पाया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा **सबस्टेण्डर्ड, मिसब्राण्डेड एवं मिसलीड खाद्य पदार्थ Kitchen Special Vanaspati (Shri Ramdev)** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य [illegible] मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया [illegible] जो [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 52 एवं 53 में [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:21 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा प्रकरण जवाब पेश गया किया। अभियुक्त संख्या 2 द्वारा पर्याप्त मौका प्रदान करने पर भी जबाव पेश नहीं करने पर अभियुक्त संख्या 2 का जबाव बन्द किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने **सबस्टेण्डर्ड, मिसब्राण्डेड एवं मिसलीड खाद्य पदार्थ Kitchen Special Vanaspati (Shri Ramdev)** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51,52 एवं 53 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण जरिये अधिवक्तागण बहस में उपस्थित हुए। अभियुक्त संख्या 1 ने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि आवेदक ने नमूना लिया जब सबस्टेण्डर्ड, मिसब्राण्ड एवं मिसलीड नहीं था। परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में अप्रार्थी संख्या 1 के कभी हस्ताक्षर नहीं करवाये। नमूना लेते समय आवेदक ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की पालना नहीं की है। समस्त कार्यवाही रंजिशवश एवं सरकारी आंकडों का पूरा करने के उददेश्य से की है। लेब रिपोर्ट की तामील अप्रार्थी संख्या 1 को कभी नहीं हुई। तामील होती तो उक्त नमूना को रेफरल प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जाता। अप्रार्थी संख्या 1 किचन स्पेशल वनस्पति (श्री रामदेव) का मेन्यूफेक्चर नहीं है। उक्त माल का खुदरा विक्रेता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त माल अभियुक्त संख्या 2 से सील पैक हाल में जरिये बिल दिनांक 18.02.21 खरीद किया था। उक्त माल के किसी प्रकार से सबस्टेण्डर्ड, मिसब्राण्डेड एवं मिसलीड होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी अभियुक्त संख्या 2 की बनती है। अभियुक्त संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में अभियुक्त संख्या 2 को गलत पक्षकार बनाया गया है। पत्रावली में अप्रार्थी के विरूद्ध कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अन्त में अभियुक्तगण द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/328/एक्ट/2021/410 दिनांक 15.03.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Kitchen Special Vanaspati (Shri Ramdev), F.S.S.A 2006** की धारा **3(1)(zx) {Baudouin test negetive in place of positive not lighter than 2.0 red unit in a 1 cm. cell on a lovibond scale}, 3(1)(zf)(C)(i), 3(1)(zf)(A)(i)(a) and 3(1)(zf)(B)(ii) {Contravention of Regulation No. 2.2.1(3) and 2.2.2(5)(ii) (The picture of cow given on the label is misleading and statement enhanced vitamin A, given on the label of sample is misleading, sesame oil and vitamin A & D. made from vegetable oil only with artificial food [illegible]ur given on the label of sample but the common name of artificial food gra[illegible] not given on the label of sample] of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011,** धारा 2[illegible](v) का उल्लंघन करने पर **सबस्टेण्डर्ड, मिसब्राण्डेड एवं मिसलीड** प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:21 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

बहस किए गए कथनों की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध न्याय निर्णयन आवेदन, दस्तावेजात एवं लेब रिपोर्ट से नहीं होती है। आवेदक की खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति राजस्थान गजेट नोटिफिकेशन दिनांक 26 जुलाई 2011 द्वारा की गई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा नमूना खरीद बिल/कैश मेमो, फार्म संख्या 5ए एवं मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक अशोक शर्मा के हस्ताक्षर है। कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2021/2689 दिनांक 09.12.2021 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्रांक 1629 दिनांक 22.03.2021 के द्वारा अभियुक्त संख्या 1 एवं अभियुक्त संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड पत्र जांच रिपोर्ट भिजवाते हुए जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूने की रेफरल प्रयोगशाला में जांच कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 30 दिन तक निर्धारित फार्म नं. 08 में आवेदन करने हेतु अवगत कराया गया था।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51,52 व 53 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को **सबस्टेण्डर्ड, मिसब्राण्डेड एवं मिसलीड खाद्य पदार्थ Kitchen Special Vanaspati (Shri Ramdev)** का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 52 व 53 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) एवं अभियुक्त संख्या 2 पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:21 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर